वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम– 579

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2153 दि. 30.07.12

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना''।

कृषि क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढ़ाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है। कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' पूर्व में आदेश संख्या 1274 दिनांक 13.07.2011 (REO–196) द्वारा 30 सितम्बर 2011 तक लागू की गई थी। डिस्कॉम कार्डिनेशन फोरम की दिनांक 16.07.2012 को आयोजित बैठक में ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' को निम्न प्रावधानों के अनुसार पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

1. ऐसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुए पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।
2. इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर लोड नियमित किया जावें।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नही हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/–प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगें।
4. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

उक्त ''स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना'' 1 अगस्त 2012 से 30 नवम्बर 2012 तक प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से

(एन.एम. चौहान)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर